राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,मुख्यालय, जयपुर ।

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा(07)/2021/ 1034 दिनांक :– 8-1-2021

कार्यालय–आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के द्वारा दिनांक 05.06.2020 को पुलिस विभाग की विडियों कान्फ्रेंस में की गई घोषणा के क्रम मे महानिदेशक, पुलिस विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक क–15(7)आ.एवं क/विविध/रोडवेज पास/2008/4926–28 दिनांक 07.09.2020 के अनुसार प्राप्त सहमति एवं संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) के पत्रांक एफ–26(क)(8)गृह–2/2014 जयपुर दिनांक 06.11.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसार कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में (राजस्थान राज्य सीमा तक) यात्रा सुविधा निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

1. पुलिस विभाग,राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक स्तर तक कार्यरत संख्या के अनुसार निगम को प्रतिमाह 300/–रू प्रति पुलिसकर्मी का भुगतान किया जावेगा । प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक भुगतान किया जाना आवश्यक होगा ।
2. सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों के वेतन से निगम को देय एवं राजकीय अंशदान की निर्धारित राशि Employee ID के अनुसार निगम के अधिकृत बैंक खाते में प्रतिमाह भुगतान किया जावेगा । उक्त राशि के प्राप्त होने पर ही निगम के द्वारा RFID कार्ड रिचार्ज किया जावेगा ।
3. पुलिसकर्मी की Employee ID के आधार पर RFID कार्ड 5 वर्ष या पुलिसकर्मी की सेवानिवृति दिनांक तक (जो भी पहले हो) हेतु जारी किया जावेगा। 5 वर्ष पश्चात निगम के RFID कार्ड सेन्टर से नवीनीकरण किया जावेगा । सेवानिवृति पर पुलिसकर्मी से RFID कार्ड पुलिस विभाग द्वारा जमा किया जाकर ही पुलिसकर्मी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावें ।
4. राजकीय कार्य हेतु अन्तर्राज्यीय क्षेत्र की यात्रा सुविधा पुलिस वारन्ट /वास्तविक यात्रा के पुनर्भरण आधार पर यथावत प्रदान की जावेगी, जिसमें राजस्थान सीमा तक का किराया RFID कार्ड से ही ले लिया जावेगा एवं अन्तर्राज्य क्षेत्र का किराया पुलिस वारन्ट /वास्तविक यात्रा के पुनर्भरण के आधार पर देय होगा ।
5. एक बस में अधिकतम 5 पुलिसकर्मी अधिकृत होगे । विशेष परिस्थिति मे मुख्य प्रबन्धक संख्या बढाने हेतु अधिकृत होगे । कानून व्यवस्था ,चुनाव, त्यौहार, इत्यादि में पुलिसकर्मियों के परिवहन हेतु बसों की मांग किए जाने पर समय–समय पर आकस्मिक अनुबन्ध की दर के अनुसार पृथक से किराया वसूल किया जावेगा ।
6. यात्रा सुविधा केवल सेवारत पुलिसकर्मियों को ही देय होगी तथा नियमानुसार 20 किलोग्राम तक लगेज की सुविधा निःशुल्क देय होगी। इससे अधिक होने पर नियमानुसार लगेज किराया पृथक से वसूली योग्य होगा।
7. निर्धारित राशि 300/– रूपये प्रतिमाह प्रति पुलिसकर्मी की राशि में निगम वाहनों के किराया वृद्धि के औसत प्रतिशत अनुसार वृद्धि की जावेगी ।
8. निगम के सभी आगारों के मुख्य प्रबन्धकों को RFID कार्ड की व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है । सभी नोडल अधिकारियों को पुलिस विभाग के जिला/यूनिट के द्वारा RFID कार्ड बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जायेगे तथा उस नोडल अधिकारी के द्वारा RFID कार्ड बनाने के उपरान्त ही सम्बन्धित जिला /यूनिट प्रभारी को उपलब्ध करवाये जायेंगे । भविष्य में RFID कार्ड के नवीनीकरण आदि सम्बन्धित कार्यवाही तथा समस्या समाधान हेतु उक्त नोडल अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकेगा ।
9. इस सुविधा का लाभ लेने वाले पुलिसकर्मियों को यात्रा के दौरान RFID कार्ड के साथ –साथ स्वंय का परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा जिससे यात्रा के दौरान सम्बन्धित पुलिसकर्मी का सत्यापन किया जाकर यात्रा करवाई जा सके ।

यह आदेश इस कार्यालय से जारी पूर्व आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा/07/021/1022 दिनांक 01.01.2021 के क्रम में जारी किये जाते है ।

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा(07)/2021/1034 दिनांक :– 8.01.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव ,माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक ,माननीय परिवहन मंत्री , राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. प्रमुख शासन सचिव , गृह एवं परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
7. निजी सचिव अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
8. वित्तीय सलाहकार ,पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर ।
10. समस्त महा प्रबन्धक,/संयुक्त महा प्रबन्धक( ) राजस्थान परिवहन निगम,मु0जयपुर
11. निगम सचिव रा0परि0निगम मु0 जयपुर।
12. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी/बजट/ टिकिट/अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0,मु0 जयपुर
13. उप महा प्रबन्धक(आई.टी) राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवम् तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे ।
14. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम.................................
15. कार्यकारी प्रबन्धक,(जनसर्म्पक)/संचालन/( ) रा.प.नि.मुख्यालय जयपुर।
16. सहा0.लेखाधिकारी,(टिकिट/अंकेक्षण) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
17. मुख्य प्रबन्धक, रा.प.नि. .... आगार ।

16.आदेश पत्रावली

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)